

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No. : IN-UP12444917911786U
 Certificate Issued Date : 29-Jan-2022 05:00 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14195804/ MUZAFFARNAGAR SADAR/ UP-MJF
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1419580415472869210976U
 Purchased by : VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL SUJRU DISTT MZN
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MASHUK SO YUSUF ETC
 Second Party : VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR
 Stamp Duty Paid By : VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,45,000
 (Two Lakh Forty Five Thousand only)



E-STAMP
LOCKED BY [Signature]

Please write or type below this line

Handwritten signatures and fingerprints of the parties involved in the transaction, including the purchaser and the seller.

0006160535

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.india.gov.in or using e-Stamp Mobile App of SGGK Holding
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on www.india.gov.in or using e-Stamp Mobile App renders it invalid
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

29-Jan-2022 05:00 PM 29-Jan-2022 05:00 PM 29-Jan-2022 05:00 PM 29-Jan-2022 05:00 PM 29-Jan-2022 05:00 PM

VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR VASUNDHRA INFRA BUILD PVT LTD BY AMIT KUMAR

आवेदन सं०: 202200708003340

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1568

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 3500000 स्टाम्प शुल्क- 245000 बाजारी मूल्य - 3500000 पंजीकरण शुल्क - 35000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 35060

श्री मासूक,
पुत्र श्री युसुफ
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम सज्जद मुंनगर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/01/2022 एष 04.02:44 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजाराम (प्रभारी)
उप निबंधक :सदर प्रथम
मुजफ्फरनगर
31/01/2022

अमित कुमार गौतम
निबंधक लिपिक



आवेदन सं०: 202200708003340

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1568

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समाप्ताने मजगुन व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मासूक, पुत्र श्री युसुफ

निवासी: ग्राम सूजदू मुन्गमर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2

श्री हारून, पुत्र श्री युसुफ

निवासी: ग्राम सूजदू मुन्गमर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3

श्री महबूब, पुत्र श्री युसुफ

निवासी: ग्राम सूजदू मुन्गमर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 4

श्रीमती आमना, पत्नी श्री युसुफ

निवासी: ग्राम सूजदू मुन्गमर

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 5

श्रीमती आमना, पत्नी श्री युसुफ

निवासी: ग्राम सूजदू मुन्गमर

व्यवसाय: गृहिणी



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

4
हम कि मासूक (PAN-GNHMPM2952P) व हारून (PAN-AUAPH12645C)
व महबूब (PAN-DMIPM5358C) व महफूज (PAN-CBRPA8337A) व इस्लाम
(PAN-AFZPI0367Q) पुत्रगण श्री युसुफ व श्रीमति आमना (PAN-EAHPA6704C)
पत्नी श्री युसुफ निवासीगण ग्राम सूजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व वसुन्धरा इन्फ्रा बिल्ड प्रा10लि0 (PAN -
AADCV8074B) वसुन्धरा रेजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर
अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला
सुमन विहार मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) के है, और दोनो पक्ष एक दूसरे से
परिचित है, और विक्रीत सम्पत्ति शत्रु सम्पत्ति चर्च मिशनरी व वप्फ/ट्रस्ट की
नहीं है, और दोनों पक्ष भारतीय नागरिक है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है जो प्रथम
पक्ष के कब्जे व अधिकार में है और कोई भागीदार उसमें नहीं है और जो इस
समय तक हर प्रकार के भार, बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एवं मुक्त है। किसी
भी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान में बन्धक नहीं है और न ही
किसी जमानत में दी हुई है और जिसके बारे में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर
किस्म प्राप्त हैं। प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा
द्वितीय पक्ष से बाजारी मूल्य पर मुबलिय 35,00,000/-रूपये में मौखिक किया
हुआ है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सम्पत्ति निम्नलिखित को मौके पर देख
लिया है और समझ लिया है और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के
अधिकारों के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही
है और द्वितीय पक्ष आज उसका बैनामा करा रहे है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा
तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति
को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी
अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से
बाजारी मूल्य पर बिल एवज मुबलिय पैतीस लाख 35,00,000/- रूपये कि
आधे जिसके मुबलिय सतरह लाख पचास हजार 17,50,000/-रूपये होते

श्री मासूक



श्री हारून



श्री युसुफ



श्रीमति आमना



32-01/11



श्री श्रीमति आमना



Shrimati Amna



हैं बदस्ता वसुन्धरा इन्फ्रा बिल्ड प्रा०लि० वसुन्धरा रेजीडेन्सी परिक्रमा मार्ग मुजफ्फरनगर द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री गिरेन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नम्बर 438/28 मौहल्ला सुमन विहार मुजफ्फरनगर को विक्रय कर दी और बेच दी है, और समस्त विक्रय मूल्य मुबलिय 35,00,000/- रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बैंक ट्रांसफर द्वारा प्राप्त किये है, कुल विक्रय मूल्य वसूल पाया है, कुछ बाकी नहीं रहा है और विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा व दखल उठाकर, दखल व कब्जा द्वितीय पक्ष का बहालत मौजूदा मौके पर मिस्तल अपने करा दिया है और उसे उसका पूर्ण मालिक व अधिकारी बना दिया है। आज से प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता व ताल्लुक विक्रीत सम्पत्ति व उसके विक्रय धन से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। अब यदि विक्रीत सम्पत्ति कुल या उसका कोई अंश प्रथम पक्ष के किसी सहिम व शरीक की दावेदारी से या प्रथम पक्ष के किसी फेल या तर्क फेल के कारण या किसी कानूनी नुक्स के कारण या किसी अन्य कारण से जो कि प्रथम पक्ष की ओर से अमल में आवे कब्जे द्वितीय पक्ष में कोई बाधा पडे उस पर अधिकार न मिले, कब्जे में न आवे, कब्जे से निकल जावे तो ऐसी समस्त दशाओं में प्रथम पक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा हासिल कर ले या कुल या जुज जरे मूल्य जैसी भी उस समय दशा हो मय सूद जाब्तां, मय हर्जा व खर्चा के प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे। इसमें प्रथम पक्ष या उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। यदि भविष्य में विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई मतलबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया पाया जाता है, तो उसके अदा व बेबाक करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। जिसे प्रथम पक्ष अपनी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से अदा व बेबाक करने के पाबन्द होंगे। विक्रीत भूमि

म. अ. अ. अ.



म. अ. अ. अ.



म. अ. अ. अ.



म. अ. अ. अ.



म. अ. अ. अ.



म. अ. अ. अ.



म. अ. अ. अ.



आवादी से दूर कृषि क्षेत्र में है। उसमें कोई पेड़ या नलकूप नहीं है सिंचाई अन्य कारखाने के नलकूप द्वारा की जाती है। विक्रीत भूमि खेती के प्रयोग में आ रही है। द्वितीय पक्ष भी खेती के लिए क्रय कर रहे हैं। विक्रीत भूमि की मालियत लगान सालाना के अनुसार मुवलिग 8,035/-रूपये व भूमि के सरकार द्वारा निर्धारित रेट अनुसार मालियत 26,65,000/-रूपये होती है। हम दोनों पक्षों का सौदा बाजारी मूल्य पर मुवलिग 35,00,000/- रूपये में मौखिक किया हुआ है यह ही इसका बाजारी मूल्य है, ओर इस ही कीमत पर द्वितीय पक्ष ने रटाम्प शुल्क अदा किया है, प्रथम पक्ष ने विक्रीत भूमि का प्रतिज्ञा पत्र विक्रय दिनांक 03-03-2021 ई0 को वेदान्ता इन्फ्राबिल्ड के हअक में तहरीर करके रजिस्ट्री कराया हुआ है, जिसका रजिस्ट्री क्रमांक 3064 सन 2021 पर उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम में दर्ज है, वेदान्ता इन्फ्रा बिल्ड नम्बर खसरा निम्नलिखित का बैनामा प्रतिज्ञा पत्र विक्रय की धारा 2 के अनुसार अपनी सहमति से द्वितीय पक्ष के हक में करा रहा है। क्रेता विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। अस्तु यह बैनामा लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम सूजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1425 ता 1430 फसली के खाता संख्या 782 के नम्बर खसरा 2316/3.1740 हैक्टेयर लगान सालाना 155.52-रूपये का 2050/31740 भाग (भागशा) विक्रीत भागानुसार विक्रीत क्षेत्र 0.2050 हैक्टेयर। (यूनिक आई0डी0कोड 1109532316000112) मय जुमला हकूक हर किस्म। घोषणा/प्रमाणक:- हम उभय पक्ष क्रेता एवं विक्रेता इस

म. म. म. म.



म. म. म. म.



म. म. म. म.



म. म. म. म.



म. म. म. म.



म. म. म. म.



म. म. म. म.



ग्रामबाबापुर



गणित किया जाता है कि वह बाबू सुज
 बचमा सुज सुज के क्षेत्र की कानून बहिष्कार
 नहीं है कि सुज के 400 बीघर की सुज

श्री माधव

श्री एकरा

महेश्वर

महेश्वर

52-1/1 श्री जगदीश आनंद

Sharma

लेखपत्र क गवाह शपथ पूर्वक घोषित करते है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेन अनुपालन किया गया है। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। निष्पादनकर्ता ने विक्रेता व क्रेता के बताये अनुसार दस्तावेज निष्पादित की है।

श्री. माधव



श्री. हर-7



महेश्वर



महेश्वर



हर-म/14



श्री. श्रीमति अमर



श्रीमति अमर



श्रीमति अमर

~~श्रीमति अमर~~

श्रीमति अमर



12 नवम्बर

श्रीमति अमर



साक्षी 2 श्रीमति अमर

साक्षी 3



दिनांक :- 29-01-2022 ई0

द्रापककर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट, तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर।

आवेदन सं०: 202200708003340

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12757 के पृष्ठ 265 से 280 तक क्रमांक 1568 पर दिनांक 31/01/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Raja C
राजाराम (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुजफ्फरनगर
31/01/2022